संख्या-57/2025/I/912069/2025/71-1002/17/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 21 मार्च, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन/विशेष मरम्मत (03 साल मेन्टेनेन्स सहित) कार्य हेतु तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण/2024-25/613, दिनांक 27.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन/विशेष मरम्मत (03 साल मेन्टेनेन्स सहित) कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए तृतीय किश्त के रूप में पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि रू0 1252.81 लाख स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-63/2024/I/520981/2024/71-1002/17/2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-159/2024/I/821090/2024/71-1002/17/2024, दिनांक 12.12.2024 द्वारा रू0 500.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शासनादेश संख्या-24/2025/I/877404/2025/71-1002/17/2024, दिनांक 11.02.2025 द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल द्वितीय तल हाल नं0)-2 व 1) के रेनोवेशन कार्य हेतु पी1952 द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 0एफ0ए0डी0.लाख 81 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) के रेनोवेशन कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1952.81 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-29-अनुरक्षण में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से परियोजना की **तृतीय किश्त** के रूप में **रू0 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. महानिदेशक द्वारा किसान बाजार के भवन हेतु किये गये रेंट एग्रीमेण्ट/लीज की शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। महानिदेशक उक्त रेट एग्रीमेण्ट/लीज में अनुमन्य सीमा/अधिकार से अधिक धनराशि खर्च नहीं करेंगे।
8. यदि प्रश्नगत परियोजना/कार्य की सम्परीक्षा में केाई प्रतिकूल तथ्य आता है तो उसका उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का हेागा।
9. परियोजना से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-24/2025/I/877404/2025/71-1002/17/2024, दिनांक 11.02.2025 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210050010300 निदेशन **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20242025-71-1002-17-2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) के रेनोवेशन कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	39 (औषधि तथा रसायन)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	2024-2025
031	2210050010300 (निदेशन)	01 (वेतन)	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	3,02,81,000 रुपये तीन करोड़ दो लाख इक्यासी हजार मात्र	2,52,81,000 रुपये दो करोड़ बावन लाख इक्यासी हजार मात्र	0 शून्य	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल					₹ 12,52,81,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	29 (अनुरक्षण)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	12,52,81,000 रुपये बारह करोड़ बावन लाख इक्यासी हजार मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 12,52,81,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन के मानक मद-01-वेतन में रू0 252.81 लाख तथा मानक मद-39 में औषधि तथा रसायन में रू0 1000.00 लाख अर्थात् कुल रू0 1252.81 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि **निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) के रेनोवेशन कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1952.81 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा रू0 1252.81 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।** महानिदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार अब तक निर्गत धनराशि **रू0 700.00 लाख के सापेक्ष रू0 560.00 लाख (80 प्रतिशत) का** उपभोग कर लिया गया है, जिसके दृष्टिगत अवशेष रू0 **1252.81** लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-628-E-3-466-X-2024-25-दिनांक:18-03-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।